

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ अलवर में जयपुर डिस्काम का हेल्पर 11 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 14 सितम्बर बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रवि कुमार, हाल हेल्पर सैकण्ड जीएसएस हुसेपुर, कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्काम टपूकड़ा जिला अलवर को परिवादी से 11 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि हमारे घरेलु विधुत कनेक्शन के बिल सितम्बर 2022 की अत्यधिक राशि को कम करने एवं मीटर बदलने की एवज में रविकुमार हेल्पर सैकण्ड जीएसएस हुसेपुर द्वारा 14 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त के सुपरविजन तथा एसीबी की अलवर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रवि कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी गांव राजपुर तहसील गनौर जिला सोनीपत (हरियाणा), हाल हेल्पर सैकण्ड जीएसएस हुसेपुर, कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्काम टपूकड़ा जिला अलवर को परिवादी से 11 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।